



इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ लखनऊ
आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1785/2026

आशीष कुमार

....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा सचिव गृह, लखनऊ

व व

...विरोधी पक्षकार

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: प्रवीण सिंह

विरोधी पक्षकार के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 28

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

1. आज दाखिल किया गया पूरक हलफनामा अभिलेख में लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता , राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख में प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन किया।
3. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त-आवेदकों द्वारा पुलिस स्टेशन- मिलरिया, जिला- रायबरेली में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 355/2025, अंतर्गत धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

एवं असामाजिक गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1986 में जमानत प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि गैंग चार्ट में आवेदक के खिलाफ सात मामले दर्ज हैं और सभी मामलों में आवेदक को जमानत पर रिहा किया गया है। जमानत याचिका के समर्थन में दायर हलफनामे के साथ जमानत आदेशों की प्रतियां अनुलग्नक संख्या 3 से 9 के रूप में संलग्न हैं। इन मामलों के अलावा, आवेदक का छह मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसका समुचित स्पष्टीकरण आज दाखिल पूरक हलफनामे के पैरा संख्या 2 दिया गया है। आज दाखिल किए गए पूरक हलफनामे में जमानत आदेशों की प्रतियां अनुलग्नक संख्या SA1 से SA5 के रूप में भी संलग्न हैं। आवेदक 18.05.2025 से जेल में है।

5. यह भी निवेदन किया जाता है कि सह-आरोपी स्वदेश, मयंक मौर्य, संजय और सुनील कुमार उर्फ पुट्टी को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 04.12.2025, 10.11.2025, 11.11.2025 और 08.01.2026 के आदेशों के माध्यम से आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 12114/2025, 10283/2025, 10744/2025 और 13086/2025 में जमानत पर रिहा किया जा चुका है। आवेदक उक्त सह-अभियुक्तों को प्रदान की गई जमानत के आधार पर समानता (Parity) का दावा करता है।

इसके अतिरिक्त, आवेदक उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(ख) में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप वचनपत्र देने के लिए तैयार है। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक के न्यायिक हिरासत से भागने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. माननीय अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

7. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आवेदक 18.05.2025 से जेल में है; उसे गैंग चार्ट में दर्शाए गए मामलों में जमानत पर रिहा किया जा चुका है; गैंग चार्ट में दर्शाए गए मामलों के अलावा, छह अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास पूरक हलफनामे के पैरा संख्या 2 में स्पष्ट किया गया है और जमानत आदेश भी पूरक हलफनामे के साथ संलग्न किए गए हैं; समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी, स्वदेश, मयंक मौर्य, संजय और सुनील कुमार उर्फ पुट्टी को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए इसे उपयुक्त मामला पाता हूँ।

8. तदनुसार, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

9. उपर्युक्त मामले में आवेदक आशीष कुमार को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलके और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए, जो न्याय के हित में लगाई जा रही हैं:-

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या से वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्यों से छेड़छाड़ की जा सके।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(iv) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने की स्थिति में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(v) आवेदक उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(ख) की आवश्यकता के अनुसार एक वचनपत्र भी दाखिल करेगा कि वह किसी भी मामले में शामिल नहीं होगा या जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(vi) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है। (

vii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय बीएनएसएस की धारा 209 के तहत कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही शुरू करेगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान जमानत आवेदन तक ही सीमित हैं और विचारण के गुण-दोष पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

25 मार्च, 2026

आनंद/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।